प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.03.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.10.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को शिवम पुत्र रमेले द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा- 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता व अभियुक्त तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 87/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 16.03.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शिवम पुत्र स्व0 रमेले निवासी मंगली प्रसाद का हाता लक्ष्मीपुरवा थाना रायपुरवा कानपुर नगर को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि लोनी बॉर्डर क्षेत्र में मेरे रिश्तेदार रहते हैं मैं पहले वही रहता था वहीं पीडिता से मेरी दोस्ती हो गई थी। मैं वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा मौका पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

शिवम पुत्र स्व0 रमेले निवासी मंगली प्रसाद का हाता लक्ष्मीपुरवा थाना रायपुरवा कानपुर नगर उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार ,कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 16.03.2026 की रात्रि को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त 1. अंकित पुत्र राधेश्याम निवासी गली नं0 07 मास्टर पार्क खोड़ा कालोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को खोड़ा अण्डरपास से चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्वयाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त वाहन चोरी कर उसे बेचकर जो पैसे मिलते है उससे अपने शौक-मौज पूरे करता है तथा अभियुक्त से बरामद मोटर साइकिल को थाना गाजीपुर दिल्ली क्षेत्र से चोरी किया था तथा चोरी की मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में जा रहे था कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

- अंकित पुत्र राधेश्याम निवासी गली नं0 07 मास्टर पार्क खोड़ा कालोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध उक्त सम्बन्ध में गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर में चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना खोड़ा पुलिस टीम।

थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने वाली एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 15.03.2026 को वादिया द्वारा थाना सिहानीगेट पर तहरीर दी कि मेरी पुत्रवधू द्वारा मेरे बेटे जितेन्द्र को लगतार मानसिक प्रताड़ना, अपमान व धमकी दी जाती थी इसी कारण मेरे बेटे जितेन्द्र कुमार ने 15.3.2026 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सिहानीगेट पर तत्काल मुकदमा अन्तर्गत धारा 108 बीएनएस बनाम अनीशा व विपिन शर्मा पंजीकृत किया गया। थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना, मृतक द्वारा बनाई गयी वीडियो व आस-पास के लोगों से पूछताछ के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की अभियुक्ता अनीशा को बाल्मीकि कुंज पटेल नगर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण

वादिया के पुत्र मृतक जितेन्द्र की शादी वर्ष 2010 में अनीशा पुत्री स्व0 भीम सिंह, नि0 16/197, I-Block, बापा नगर करोलबाग, दिल्ली से हुई थी। पति-पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। मृतक जितेन्द्र की पत्नी का चाल चलन ठीक न होने की वजह से दोनों के बीच विवाद रहता था। मृतक जितेन्द्र द्वारा अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर दिनांक 15.03.2026 को आत्महत्या कर ली थी। थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटनास्थल से बरामद मृतक जितेन्द्र के फोन का गहनता से अवलोकन किया गया। जिसमें मृतक द्वारा मरने से पहले वीडियो बनाया गया। जिसमें मृतक द्वारा कहा गया कि मैं तीन-चार साल से कॉफी परेशान चल रहा हूँ। मेरी पत्नी ने मेरा ही नम्बर ब्लाक किया हुआ है। वह अपने मित्र विपिन शर्मा से बात करती है। और उससे मिलने जुलने भी जाती रहती है। इसी से परेशान होकर दिनांक 15.03.2026 को जितेन्द्र उपरोक्त ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वीडियो में मृतक जितेन्द्र ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी व उसके दोस्त विपिन शर्मा को बताया।

पूछताछ का विवरण

पूछने पर अभियुक्ता ने बताया कि मेरा काफी समय से विपिन शर्मा से मिलना जुलना था। इसी बात से मेरे पति जितेन्द्र (मृतक) मुझसे नाराज रहते थे और विपिन से मिलने को मना करते थे। इसी बात को लेकर हमारे बीच काफी झगड़ा रहता था।

गिरफ्तार अभियुक्ता

1.अनीशा पत्नी स्व0 जितेन्द्र, नि0 शिब्बनपुरा, थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

1.मृतक का मोबाईल

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना सिहानी गेट पुलिस

थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद की सीमा के अन्तर्गत 01 जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 16.03.2026 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मा0 न्यायालय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के उल्लंघन करने पर 01 अभियुक्त सूरज पुत्र नन्दलाल उर्फ राजू सोनी हाल निवासी ग्राम कडकड मांडल पानी की टंकी वाली गली थाना लिंकरोड गाजियाबाद

उम्र करीब 29 वर्ष को इन्द्रप्रस्थ कॉलेज कट के पास चौकी औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार कर 3/10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

मा0 न्यायालय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के अन्तर्गत 3/10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 18.11.2025 को तामील कराया गया था एवं भली भांति अवगत कराया गया था कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में लिखित छः माह से पूर्व गाजियाबाद की सीमाओं में प्रवेश नहीं करेंगे।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सूरज पुत्र नन्दलाल उर्फ राजू सोनी ने बताया कि मुझे मा0 न्यायालय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा 06 माह के लिये जिला बदर किया गया था। मैं दिल्ली में रहता था, कभी-कभी चोरी छुपे परिवार से मिलने गाजियाबाद आता था। आज मै पुनः अपने परिवार से मिलने आया था, कि आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सूरज पुत्र नन्दलाल उर्फ राजू सोनी हाल निवासी ग्राम कडकड मांडल पानी की टंकी वाली गली थाना लिंकरोड गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम मीरगंज नियर जी0डी0 कॉलेज जिला बेगूसराय, बिहार , उम्र करीब 29 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज पुत्र नन्दलाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना गाजियाबाद में लूट,चोरी,चोरी का सामान बरामद होने,आर्म्स एक्ट,गैंगस्टर एक्ट आदि से सम्बन्धित 14 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक डबल बैरल बंदूक, 07 जिंदा कारतूस 12 बोर, 01 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद।

आज दिनांक 16.03.2026 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर तहरीर दी गई कि पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक में चोपडा सिक्योरिटी एंजेसी की तरफ से कार्यरत गार्ड/अभियुक्त रविंदर हुड्डा द्वारा अपने अन्य साथी के साथ मिलकर बैंक के केबिन में घुसकर मैनेजर अभिषेक कुमार पुत्र संजय शर्मा निवासी लक्खीपुर पटना बिहार को गोली मार देना जिसको उपचार हेतु GTB अस्पताल दिल्ली में ले जाना जहां चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित करना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1)/3(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम व स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर हत्या कारित करने वाले अभियुक्त 1. रविंदर हुड्डा पुत्र नारायन निवासी मन्सूरपुर थाना चाँदी नगर जिला बागपत उम्र करीब 50 वर्ष 2. शिशुपाल पुत्र सुखबीर निवासी मन्सूरपुर थाना चाँदी नगर जिला बागपत उम्र करीब 57 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से एक डबल बैरल बंदूक, 07 जिंदा कारतूस 12

बोर, 01 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर अभियोग में आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त रविंदर हुड्डा ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं। मैं करीब ढाई माह से इसी बैंक में गार्ड की नौकरी करता हूँ। वह मुझे सैलरी कम देता था तथा छुट्टी मांगने पर छुट्टी नही देता था जिसे लेकर मेरी बैंक मैनेजर से कहा-सुनी हो गई थी, गुस्से में आकर मैंने बैंक मैनेजर को अपनी बंदूक से गोली मार दी उस समय शिशुपाल मेरे साथ था।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण -

1.रविंदर हुड्डा पुत्र नारायन निवासी मन्सूरपुर थाना चाँदी नगर जिला बागपत उम्र करीब 50 वर्ष

2.शिशुपाल पुत्र सुखबीर निवासी मन्सूरपुर थाना चाँदी नगर जिला बागपत उम्र करीब 57 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

एक डबल बैरल बंदूक, 07 जिंदा कारतूस 12 बोर, 01 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त प्रकरण के संबंध में 01अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद।